सीसीटीएनएस/अति आवश्यक

मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

महानगर, लखनऊ–226006

पत्रांक:टीएस–सीसीटीएनएस–98/2018 दिनांक:अगस्त 31, 2018

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश
पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, समस्त जनपद उत्तर प्रदेश।
समस्त कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) जोन/परिक्षेत्र/जनपद उत्तर प्रदेश।

विषयक:– **सिटीजन सर्विसेज के लिए UPCOP Mobile app के विषय में जागरूक किये जाने विषयक।**

सिटीजन सर्विसेज के लिए UPCOP Mobile app का बीटा ट्रायल वर्जन जारी किया गया है। इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी जनपदीय पुलिस प्रमुख/प्रभारी अधिकारी इस व्यवस्था को भली–भांति समझ लें। जनपदों से प्राप्त सुझाव के उपरान्त निकट भविष्य में लागू किये जाने की योजना है।

2– ज्ञातव्य हो कि सत्यापन के लिए उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें, मुख्यालय लखनऊ द्वारा सीसीटीएनएस योजना में सिटीजन सर्विसेज के लिए UPCOP Mobile app विकसित किया गया है। उक्त ऐप्प के अन्तर्गत आम नागरिक सीधे ऑन–लाइन पेमेण्ट गेटवे के माध्यम से अपना आवदेन कर सकते हैं। उपरोक्त प्रकिया में जनपदीय पुलिस प्रभारी द्वारा **सम्बन्धित थाने/डी0सी0आर0बी0/एल0आई0यू0 की रिपोर्ट** के उपरान्त ही सम्बन्धित जनपदीय पुलिस प्रमुख/प्रभारी अधिकारी प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र को पोर्टल पर ऑन–लाइन उपलब्ध करा सकते हैं। पूर्व में केवल संबंधित थाने के लिये ही यह व्यवस्था थी। वर्तमान में सत्यापन के लिये प्राप्त आवेदन पत्र संबंधित थाने के साथ–साथ संबंधित जनपद के डी0सी0आर0बी0/एल0आई0यू0 को भी स्वत: प्रेषित हो जायेगी जो अपने यूजर आई0डी0/ पासवर्ड के साथ खोलकर नियत अवधि में रिपोर्ट संबंधित जनपदीय पुलिस प्रभारी को प्रेषित कर देंगे।

3– पुलिस विभाग द्वारा प्रदत्त की जाने वाली निम्नलिखित सर्विसेज वर्तमान में e-district portal से भी इंटीग्रेट करायी जा चुकी हैं एवं प्रमाण–पत्र डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किये जा सकते हैं:–

1. चरित्र प्रमाण पत्र हेतु अनुरोध
2. घरेलू सहायता सत्यापन हेतु अनुरोध
3. कर्मचारी सत्यापन हेतु अनुरोध
4. किरायेदार सत्यापन हेतु अनुरोध

4— उपरोक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा जिन प्रमाण—पत्रों पर उनके डिजिटल हस्ताक्षर से **e-district portal** पर जो प्रमाण पत्र जारी किया जाता है वैसी प्रक्रिया को भी ऑन—लाइन बनाने के लिए जिलाधिकारी के **e-district portal** को **CCTNS portal** से जोड़ दिया गया है जिसमें निम्न सर्विसेज है:—

1. **विरोध / हड़ताल पंजीकरण**
2. **कार्यक्रम / प्रदर्शन निवेदन**
3. **जुलूस अनुरोध**
4. **फिल्म शूटिंग**
5. **चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध—ठेकेदारी हेतु**

5— उपरोक्त सभी के सम्बन्ध में जनपदीय पुलिस प्रमुख/प्रभारी अधिकारी द्वारा अपने डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा **CCTNS portal** से जिलाधिकारी के **e-district portal** पर ऑन—लाइन प्रेषित किये जाने की व्यवस्था लागू कर दी गयी है।

6— उक्त ऐप्प में उपलब्ध विभिन्न नागरिक सेवाओं की सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है जिससे कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड—ए) के माध्यम से अपने अधीनस्थ समस्त जनपदीय पुलिस प्रमुख/प्रभारी अधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक व थानों में निरीक्षक/उप निरीक्षक/एच0सी0पी0/ मुख्य आरक्षी/ आरक्षियों को भिज्ञ करने के लिये निर्देशित कराने का कष्ट करें।

7— उपरोक्त व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी जनपदों के समस्त कम्प्यूटर आपरेटरों को सीसीटीएनएस योजना में सिटिजन सर्विसेज के लिए **UPCOP Mobile app** के बारे में उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ में प्रशिक्षित किया जा चुका है। उक्त ऐप्प के बीटा ट्रायल वर्जन में कोई समस्या हो तो सुझाव सहित तकनीकी सेवायें मुख्यालय के ई—मेल tshq@nic.in पर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोपरि।

31/8

(आशुतोष पाण्डेय)
अपर पुलिस महानिदेशक,
तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु।

1. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
2. पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस महानिदेशक के जनरल स्टाफ आफिसर, उ0प्र0।
3. श्री सुमित गुप्ता, प्रोजेक्ट मैनेजर, एनआईआईटी।
4. समस्त प्रोग्रामर ग्रेड—2, उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ।
5. पत्रावली संख्या: टीएस—सीसीटीएनएस—82/2012 पर अभिलेखार्थ रखने हेतु।

UPCOP App

1. **ई-प्राथमिकी पंजीकरण -**

   I. वाहन चोरी
   II. वाहन लूट
   III. चेन/पर्स/बैग/मोबाइल स्नैचिंग
   IV. सामान्य चोरी
   V. नकबजनी
   VI. नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी
   VII. लूट
   VIII. डकैती
   IX. साइबर अपराध

   इन अपराधों के घटित होने पर कोई भी पीड़ित व्यक्ति **अज्ञात अभियुक्तों** के विरूद्ध बिना थाना गये कहीं से भी मुकदमा पंजीकृत करा सकता है।

2. **प्राथमिकी देखें -**

   प्राथमिकी देखें टैब के माध्यम से कोई भी नागरिक बिना थाना गए कहीं से भी अपनी दर्ज की हुई प्राथमिकी को देख सकता है तथा प्राथमिकी ऑन-लाइन डाउनलोड कर सकता है।

3. **खोयी वस्तु का पंजीकरण (Report Lost Article) -**

   खोयी वस्तु का पंजीकरण (Report Lost Article) के माध्यम से कोई भी पीड़ित व्यक्ति बिना थाना गये कहीं से भी किसी वस्तु के खोने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज करा कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही कर सकता है। साथ ही किसी खोई चीज के प्राप्त होने पर उसकी सूचना भी इस पर दे सकता है।

4. **अपना थाना जानें -**

   अपना थाना जानें टैब के माध्यम से कोई भी नागरिक जिस स्थान पर है वहां के नजदीकी थाना की जानकारी कर सकता है साथ ही वहां तक पहुचने का रास्ता देख सकता है और संभव सहायता प्राप्त कर सकता है।

5. **दुर्घटना चेतवानी क्षेत्र -**

दुर्घटना चेतवानी क्षेत्र टैब के माध्यम से कोई भी नागरिक यह जान सकता है की वह दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र में है या नहीं एवं विगत वर्षों में हुई सड़क दुर्घटना का स्थान मानचित्र पर देख सकता है।

6. **चुराए गए / बरामद वाहन -**

चुराए गए / बरामद वाहन टैब के माध्यम से कोई भी नागरिक बिना थाना गए अपने चोरी गए वाहन के विषय में जानकारी कर सकता है या किसी वाहन के बारे में जानकारी कर सकता है कि पूरे देश में वह चोरी का है या नहीं। ।

7. **सूचनाएँ साझा करें -**

सूचनाएँ साझा करें टैब के माध्यम से कोई भी आम नागरिक बिना थाना गए कहीं से भी किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु अथवा गतिविधियों की सूचना दे सकता है जिसमें सूचना देने वाले की व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखी जायेगी।

8. **खराब व्यवहार -**

खराब व्यवहार टैब के माध्यम से कोई भी आम नागरिक बिना थाना गए कहीं से भी किसी भी व्यक्ति द्वारा किये गये दुर्व्यवहार की सूचना /चित्र/आवाज संबंधित थाने को दे सकता है जिसमें सूचना देने वाले की व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखी जायेगी।

9. **वरिष्ठ नागरिक -**

यहाँ वरिष्ठ नागरिक अपने साथ किये गए किसी घटना या अभद्र व्यवहार की जानकारी बिना थाना गए कहीं से भी ऑनलाइन दें सकते हैं।

10. **दिव्यांग -**

दिव्यांग टैब के माध्यम से कोई भी दिव्यांग जन Text/Audio/सांकेतिक भाषा के माध्यम से अपनी बात अग्रिम कार्यवाही के लिए पुलिस तक पंहुचा सकता है। साथ ही अपने निकटतम संबंधी/सहयोगी का फोन नम्बर भी दे सकता है जिससे पुलिस बात कर सकती है।

11. चरित्र प्रमाण पत्र -

चरित्र प्रमाण पत्र टैब के माध्यम से कोई भी नागरिक बिना थाना गए कहीं से भी अपने चरित्र प्रमाण पत्र का पुलिस सत्यापन करा सकता है और ऑन-लाइन डाउनलोड कर सकता है। और अगर खनन आदि के लिए आवेदन करता है तो उसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑन-लाइन चली जायेगी।

12. किरायेदार सत्यापन -

किरायेदार सत्यापन टैब के माध्यम से कोई मकान मालिक बिना थाना गए कहीं से भी अपने किरायेदार का पुलिस सत्यापन करा सकता है जिसकी रिपोर्ट ऑन-लाइन डाउनलोड कर सकता है।

13. घरेलू सहायता सत्यापन -

घरेलू सहायता सत्यापन टैब के माध्यम से कोई भी नागरिक बिना थाना गए कहीं से भी अपने नौकर का पुलिस सत्यापन करा सकता है जिसकी रिपोर्ट ऑन-लाइन डाउनलोड कर सकता है।

14. कर्मचारी सत्यापन -

कर्मचारी सत्यापन टैब के माध्यम से कोई भी सरकारी अथवा निजी संगठन बिना थाना गए कहीं से भी अपने कर्मचारी का पुलिस सत्यापन करा सकता है जिसकी रिपोर्ट ऑन-लाइन डाउनलोड कर सकता है।

15. पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट -

पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट टैब के माध्यम से मृतक व्यक्ति के अत्यंत नजदीकी सम्बन्ध वाला व्यक्ति कहीं से भी पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट का विवरण ऑनलाइन देख सकता है।

16. जुलूस अनुरोध -

जुलूस अनुरोध टैब के माध्यम से कोई भी नागरिक बिना थाना गए कहीं से भी जुलूस निकालने के लिये स्थानीय प्रशासन की अनुमति लेने हेतु अनुरोध कर सकता है जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑन-लाइन चली जायेगी।

17. विरोध / हड़ताल पंजीकरण अनुरोध -

विरोध / हड़ताल पंजीकरण अनुरोध टैब के माध्यम से कोई भी नागरिक बिना थाना गए कहीं से भी किसी भी प्रकार का विरोध या हड़ताल करने हेतु अनुरोध कर सकता है जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑन-लाइन चली जायेगी।

18. कार्यक्रम / प्रदर्शन निवेदन -

कार्यक्रम / प्रदर्शन निवेदन टैब के माध्यम से कोई भी आम नागरिक बिना थाना गए कहीं से भी किसी भी प्रकार का शांतिपूर्ण कार्यक्रम/प्रदर्शन करने का निवेदन कर सकता है जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑन-लाइन चली जायेगी।

19. फिल्म शूटिंग -

फिल्म शूटिंग टैब के माध्यम से कोई भी नागरिक बिना थाना गए कहीं से भी फिल्म की शूटिंग करने की अनुमति लेने हेतु अनुरोध कर सकता है जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑन-लाइन चली जायेगी।

20. स्थिति खोजें / डाउनलोड करें -

स्थिति खोजें टैब के माध्यम से नागरिक बिना थाना गए कहीं से भी अपनी किसी भी प्रकार की दर्ज की गयी ऑनलाइन शिकायत/अनुरोध की वर्तमान स्थिति की जानकारी कर सकता है एवं सम्बंधित रिपोर्ट डाउनलोड या प्रिंट कर सकता है।

21. इनामी अपराधी-

इनामी अपराधी टैब के माध्यम से कोई भी नागरिक उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद के इनामी अपराधियों की सूची देख सकता है।

22. गिरफ्तार अभियुक्त -

गिरफ्तार अभियुक्त टैब के माध्यम से कोई भी नागरिक बिना थाना गए विगत 24 घंटों में विभिन्न थानों पर गिरफ्तार व्यक्ति का विवरण जनपदवार एवं थानावार प्राप्त कर सकता है।

23. लापता व्यक्ति -

लापता व्यक्ति टैब के माध्यम से कोई भी नागरिक बिना थाना गए लापता व्यक्तियों के विषय में चुने गए जनपद में दर्ज विवरण ऑनलाइन देख सकता है। इसके अतिरिक्त इससे मिलते-जुलते विवरण वाले संभावित लापता व्यक्तियों के बारे में जान सकता है।

24. अज्ञात शव -

अज्ञात शव टैब के माध्यम से कोई भी नागरिक किसी अज्ञात शव के विषय में चुने गए जनपद में दर्ज विवरण ऑनलाइन देख सकता है। इसके अतिरिक्त इससे मिलते-जुलते विवरण वाले संभावित अज्ञात शव के बारे में जान सकता है।

25. साइबर जागरूकता -

साइबर जागरूकता टैब के माध्यम से नागरिक साइबर अपराधों से जुड़े नवीनतम मामलों की जानकारी एवं उसके रोकथाम हेतु आर0बी0आई0 द्वारा जारी किये गए आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन कर साइबर अपराधों से अपना बचाव कर सकता है।

26. आपातकालीन हेल्पलाइन -

आपातकालीन हेल्पलाइन टैब के माध्यम से नागरिक आपातकाल के समय पुलिस, एम्बुलेंस, फायर अथवा अन्य आपातकालीन नंबर से संपर्क कर सकता है।

27. फ़ोन मिलाएं -

इस टैब के माध्यम से नागरिक उत्तर प्रदेश पुलिस के थाने एवं सम्बंधित जनपदों के क्षेत्राधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक के फ़ोन नंबर की जानकारी कर उसी नंबर को दबाकर संपर्क कर सकता है।